महत्वपूर्ण

संख्या-4064/सैंतीस-2-2015-30(116)/2015

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 11 जनवरी, 2016

विषयः- उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 के अन्तर्गत 10000 पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर्स इकाईयों की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में कुक्कुट उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 के अन्तर्गत प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना करने के संबंध में शासनादेश संख्या-2280/सैंतीस-2-2013-1(45)/12 दिनांक 17 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या-29/2015/994/सैंतीस-2-2013-1(45)/12टी0सी0 दिनांक 08 मई, 2015 निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश द्वारा कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना में 30,000 पक्षियों का लक्ष्य निर्धारित था। प्रश्नगत योजना में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। इस संबंध में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग के पत्र संख्या-118/कुक्कुट उद्यमिता विकास/2015-16 दिनांक 15.12.2015 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मध्यम एवं लघु उद्यमियों की भागीदारी भी अन्य उद्यमियों के साथ-साथ सुनिश्चित करने के लिए 10,000 पक्षी क्षमता की कामर्शियल लेयर्स फार्म योजना निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित कर भी संचालित की जाय।

2- अतःनिदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग के प्रस्ताव दिनांक-15.12.2015 एवं पूर्व निर्गत उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 जून, 2013 एवं 8 मई, 2015 के क्रम में 10,000 पक्षी क्षमता की कामर्शियल लेयर्स फार्म योजना निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत क्रियान्वित की जायें :-

<u>योजना में लाभार्थी की पात्रता</u>

उपरोक्त योजनान्तर्गत उद्यमी को आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 10000 कामर्शियल लेयर्स पक्षी की इकाई हेतु पात्रता समान रूप से वही रहेगी जो 30000 पक्षी क्षमता की कामर्शियल लेयर्स इकाईयों हेतु है मात्र भूमि की उपलब्धता अधिकतम एक एकड़ प्रति इकाई हो जायेगी।

JD (Poultry)

1- एक लाभार्थी अधिकतम दो इकाईयों का लाभ प्राप्त कर सकता है। योजनान्तर्गत देश एवं विदेश में रहने वाले एन0आर0आई0, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों के लाभार्थी व्यक्तिगत/कम्पनी/ग्रुप के रूप में पात्र होगें।

2- जो लाभार्थी 30000 कामर्शियल लेयर्स इकाईयॉ संचालित कर रहा है वह भी 10000 कामर्शियल लेयर्स की अधिकतम दो इकाईयॉ प्राप्त कर सकता है।

3- लाभार्थी के परिजन भी 10000 कामर्शियल इकाईयों की अधिकतम दो इकाईयॉ प्रति व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

-2-

लाभार्थी को 30000 कामर्शियल लेयर्स इकाई की तुलना में मिलने वाले लाभ

प्रदेश में प्रचलित अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति-2012 के बिन्दु संख्या-5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.4, 5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2 एवं 5.6.3 के अनुसार सुविधायें निम्नानुसार लाभार्थियों को दी जायेगी;

क्र0 सं0	अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 के बिन्दु	विषय	30,000 पक्षी हेतु अनुमन्य सुविधा	10,000 पक्षी हेतु अनुमन्य सुविधा
1.	5.1 (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5)	स्टैम्प ड्यूटी से छूट	30000 कामर्शियल लेयर्स की एक इकाई के लिए अधिकतम 3 एकड़ भूमि क्रय पर 100% स्टैम्प ड्यूटी से छूट ।	प्रस्तावित योजना अन्तर्गत किसी भी स्रोत से एक इकाई के लिए एक एकड़ भूमि क्रय पर प्रदेश के समस्त जनपदों में स्टैम्प ड्यूटी पर 100% छूट ।
2.	5.2 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4)	वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित छूट	कुक्कुट आहार उत्पादन हेतु आहार इनग्रेडिएन्टस के लिए प्रदेश में इन्ट्री टैक्स नही लिया जाता है।	कुक्कुट आहार उत्पादन हेतु आहार इनग्रेडिएन्टस के लिए प्रदेश में इन्ट्री टैक्स नही लिया जाता है।
3.	5.3	मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट	30000 पक्षी क्षमता की कुक्कुट इकाई योजना अन्तर्गत रू0 5.00 करोड़ की प्लान्ट एवं मशीनरी पर लागत होने पर फीड इनग्रेडिएन्ट में मण्डी शुल्क में छूट	10000 पक्षी क्षमता की एक कुक्कुट इकाई अथवा 02 (दो) कुक्कुट इकाई पर भी रू0 5.00 करोड़ की प्लान्ट एवं मशीनरी पर लागत नही आयेगी। अतः इस मद में कोई भी छूट दिया जाना नहीं है।
4.	5.4 (5.4.1, 5.4.3)	निवेश प्रोत्साहन योजना का विस्तार	योजनान्तर्गत 30000 कामर्शियल लेयर्स की एक इकाई एवं 10000 ब्रायलर पैरेन्ट की एक इकाई अथवा इकाईयॉ जिनमें रू0 5.00 करोड़ या अधिक का स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश किया गया हो, को प्रथम बिक्री की	रू0 5.00 करोड़ या अधिक का स्थायी पूँजी निवेश अथवा अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश नहीं होगा। अतः किसी भी प्रकार की छूट दिया जाना प्रस्तावित नही है।

खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निदेशक (प्रशासन एवं विकास) यह सुनिश्चित करेगें कि लक्ष्य के पुनरीक्षण के पश्चात् किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार पर नहीं आयेगा।

3- इस संबंध में उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति 2013 के अन्तर्गत प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-2280/सैंतीस-2-2013-1(45)/12 दिनांक 17 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या-29/2015/994/सैंतीस-2-2013-1(45)/12टी0सी0 दिनांक 08 मई, 2015में उल्लिखित अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

4- अतः निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग से प्राप्त 10,000 पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर्स फार्म इकाईयों से संबंधित कार्य योजना एतद्द्वारा संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 10,000 पक्षी क्षमता की इकाई को सम्मिलित करते हुए पुनः दोनों इकाईयों यथा 30,000 पक्षी क्षमता एवं 10,000 पक्षी क्षमता के जिला स्तरीय लक्ष्य निर्धारित करते हुये अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4064(1)/सैंतीस-2-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
11. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2 पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।